मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 17 जनवरी, 2020 (पौष 27, शक सम्वत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:05 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

1. नववर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं

अध्यक्ष महोदय ने प्रारंभ में उल्लेख किया कि -

"1 जनवरी, 2020 से इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक का अंतिम नववर्ष प्रारम्भ हो चुका है. इक्कीसवीं सदी के इन 20 वर्षों में हमने अनेक नए सपनों, आशाओं और आकांक्षाओं को साकार किया है. हमने जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति की है एवं सफलता तथा उपलब्धियों के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं. संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था के अंतर्गत यह प्रयास किया जाता है कि समाज के हर वर्ग की उन्नति हो तथा वह विकास यात्रा का अभिन्न अंग बना रहे क्योंकि यह प्रणाली उसी के कल्याण के लिए अंगीकार की गई है.

हमने अभी मकर संक्रांति और पोंगल का पर्व मनाया है. सूर्य अब उत्तरायण हो गया है और ऋतु परिवर्तन की आहटें भी सुनाई देनी लगी हैं. परिवर्तन की सतत प्रक्रिया में हम सब भी मिलजुल कर जन कल्याण के लिए अपना पूर्ण योगदान दें, इसी अपेक्षा के साथ सभी माननीय सदस्यों तथा समस्त प्रदेशवासियों को अपनी एवं संपूर्ण सदन की ओर से नव वर्ष पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ."

2. उल्लेख

(1) लोक सेवा आयोग के प्रश्नपत्र में आदिवासी समाज को अपमानित किया जाने वाला प्रश्न पूछा जाना

श्री कांतिलाल भूरिया, सदस्य ने उल्लेख किया कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आदिवासी समाज के ऊपर जो प्रश्न पूछे हैं वो उसे अपमानित करने वाले हैं. प्रदेश के आदिवासियों एवं विधायकों में आक्रोश व्याप्त है, इसलिए तत्काल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव को हटाया जाए.

श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री एवं डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय सदस्य को आश्वस्त किया कि इसमें जांच के आदेश दे दिये गये हैं इसमें जो भी दोषी पाए जायेंगे उन पर सख्त कार्यवाही की जायेगी.

(2) चंबल संभाग में ओला-पाला एवं वर्षा से किसान की फसलों को नुकसान होना एवं धान खरीदी एवं भुगतान की व्यवस्था करना

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष एवं डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य ने उल्लेख किया कि कल दतिया, ग्वालियर एवं चंबल संभाग में ओला-पाला एवं वर्षा से किसान की फसलों को नुकसान हुआ है. साथ ही धान खरीदी केन्द्र में रखी धान भीग गई है. किसानों की धान की फसल न खरीदी जा रही है और न ही समय पर भुगतान किया जा रहा है.

श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री एवं डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि दोनों जिलों के कलेक्टर्स को जानकारी भेजने के निर्देश दे दिये गये हैं. जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है, हम इसका सर्वे कराएंगे और उन्हें मुआवजा दिया जायेगा. साथ ही, माननीय सदस्यों की मांग का परीक्षण कर धान खरीदी के लिए नए केन्द्र भी खोले जायेंगे.

(3) अतिथि विद्वानों एवं शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्र, सदस्य एवं श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि यादगार-ए-शाहजहाँनी पार्क, भोपाल में पिछले कई दिनों से अतिथि विद्वान एवं शिक्षक धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है.

श्री जीतू पटवारी, उच्च शिक्षा मंत्री ने इस परिप्रेक्ष्य में अवगत कराया कि सरकार द्वारा सकारात्मक रूप से संवाद किया गया है और सरकार उनकी समस्या के निराकरण की ओर अग्रसर है. आशा है कि 20 से 25 तारीख के बीच में अतिथि विद्वानों को कालेज अलॉट हो जायेंगे और वे चले जायेंगे. शेष जो बचेगें वो भी बाहर न हो ऐसी हमारी नीयत है. जहां तक उनके नियमितीकरण का प्रश्न है, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस पर भी विचार किया जाएगा.

3. बहिर्गमन

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में उच्च शिक्षा मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री पी.सी. शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019, लोक सभा एवं राज्य सभा की कार्यवाहियां तथा उक्त संशोधन के अनुसमर्थन के लिए प्राप्त राज्य सभा सचिवालय की सूचना, पटल पर रखी.

5. संकल्प

संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 के अनुसमर्थन संबंधी संकल्प

श्री पी.सी. शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि -

"यह सभा, भारत के संविधान के उस संशोधन का निम्नलिखित शर्त के अध्यधीन रहते हुए अनुसमर्थन करती है जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) की व्याप्ति के अंतर्गत आता है और संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 द्वारा किए जाने हेतु प्रस्तावित है, अर्थात् :-

संविधान के अनुच्छेद 334 के खण्ड (ख) के प्रावधान की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाई जाए.".

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा भी चर्चा में भाग लिया गया:-

(1) श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री
(2) श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष
(3) डॉ. सीतासरन शर्मा
(4) श्री कांतिलाल भूरिया

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

(5) श्री राम दांगोरे

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

(6) श्री कुणाल चौधरी
(7) इंजी प्रदीप लारिया

(8) श्री हरिशंकर खटीक
(7) डॉ. अशोक मर्सकोले
(8) श्री देवेन्द्र वर्मा
(9) श्री शैलेन्द्र जैन

डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ.

6. अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा पारित संकल्प के साथ चर्चा में माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव सहित प्रतिवेदित कार्यवाही केन्द्र को प्रेषित करने संबंधी घोषणा की गई.

7. राष्ट्रगान "जन गण मन" का समूहगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूहगान किया गया.

8. विधान सभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना : घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा अपराह्न 12.48 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 17 जनवरी, 2020